



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019 (VAISAKHA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2019

संख्या 1494/संवि0/अनु0 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
“5. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) में यथा विनिर्दिष्ट”।
- उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट ख”

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	सेवादार	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।
2.	चौकीदार	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
3.	मेहतर (स्वीपर)	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ”।

टी० सी० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2019

No. 1494/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group D) Service Rules, 1998, namely:-

- These rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group D) Service (Amendment) Rules, 2019.
- In the Haryana Renewable Energy (Group D) Service Rules, 1998, (herein after called the said rules) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

“5. As specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)”.

- In the said rules, for Appendix B, the following Appendix shall be substituted, namely

Appendix B

(see rule 7)

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Peon	As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).	By transfer or deputation- As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).
2	Chowkidar	As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).	By transfer or deputation- As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
3.	Sweeper	As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).	By Transfer or Deputation- As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).”

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.